193/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 193/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

03-04-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से चाही गई 2 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनाएं चाही थीः-

1- माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 567 दिनांक 27.10.2016 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति की दिनांक व क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि। 2- पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार/अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में अपना प्रतिवेदन सं0 चुनाव/4943 दिनांक 06.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना उनके कार्यालय के रजि0 पत्र संख्या 4935 दिनांक 07.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 4935 दिनांक 07.12.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः-

1- माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 संख्या 1, श्रीगंगानगर का पत्रांक 567 दिनांक 27.10.2016 इस कार्यालय में दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त हुआ है जिसे क्रमांक 66 पर दर्ज किया गया है। पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क 2 रूपये की टिकट नकल हेतु जमा करवाकर किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त की जा सकती है। 2- तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क 2 रूपये की टिकट नकल हेतु जमा करवाकर किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त की जा सकती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा 2-2 रूपये टिकट नकल हेतू प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है जो अपीलार्थी को जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए।

Web Copy - Not Official

चूंकि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार रजि0 पत्र से अपीलार्थी को 2–2 रूपये की टिकट प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है और अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेंक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना के लिए 2–2 रूपये की टिकट प्रस्तुत कर दे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर